संख्या-4/2019/339जेड/6-सा-3-2019-50जी/2017

प्रेषक

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,
कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 31 मार्च, 2019

विषय-लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदया,

लोकतंत्र रक्षक सेनानी सम्मान राशि का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त रूप से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने विषयक आपके पत्र संख्या-1377/छः-स्व0से0/2019-02बजट/18, दिनांक 25-03-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में संलग्न सूची में अंकित जनपदों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 56,24,484/- का भुगतान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-28-लेखाशीर्षक-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयोजनेत्तर 60-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ मद में उपलब्ध बचत में से रु० 56,24,484/- के सापेक्ष सुगमांक में रु० 56,24,000 (छप्पन लाख चौबीस हज़ार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं|

1- जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जाएगी।

2- पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 तक कर लिया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि० 31-03-2019 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

5- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी |

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

8- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलो में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों एवं स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-28-लेखाशीर्षक-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयोजनेत्तर 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी०आई०आर० में बंद प्रदेश के राजनैतिक बन्दियो को सम्मान राशि का भुगतान-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अनुदान के ही लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयोजनेत्तर 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/ आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ मद में से सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-आरई-861-ई-12-573, दिनांक 30 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राजन शुक्ला)

प्रमुख सचिव।

http://srasarad esh.up.nic.in

संख्या:4/2019/ 339 (1)जेड/6-सा-3-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- सम्बन्धित जिलाधिकारी।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।

7- आहरण एवं वितरण अधिकारी।

8- अधीक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ/मथुरा।

9- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान।

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-4/2019/339जेड/छः-सा-3-19-50जी/2017, दिनांक **31** मार्च, 2019 का संलग्नक।

क्रम संख्या	जनपद का नाम	धनराशि
1	महोबा	64,636
2	प्रतापगढ	29,994
3	बलिया	3,01,543
4	कौशाम्बी	5,99,613
5	आगरा	14,95,538
6	प्रयागराज	14,73,472
7	कानपुर देहात	6,40,000
8	गाजीपुर	13,50,000
	कुल योग	59,54,796
	पूर्व से अवशेष धनराशि	3,,30,312
	योग	59,54,796-3,30,312 =56,24,484

सुगमांक में रू0 56,24,000

(सूर्य कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in